प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 04.02.2024

- **अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कानपुर देहात पुलिस की सख्त कार्यवाही जारी।**
- **थाना रुरा क्षेत्रान्तर्गत मन्दिर में मूर्तियों को खण्डित करने की घटना को अंजाम देने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त की निशान देही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की हथौड़ी व अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी अकबरपुर श्रीमती तनु उपाध्याय के नेतृत्व में थाना रुरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 25.01.2024 को श्री गौरव कुमार शुक्ला पुत्र प्रेम शुक्ला निवासी अयोध्या नगर कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात की तहरीर के आधार पर थाना रूरा पर मु0अ0सं0-23/2024 धारा 295 भादवि0 बनाम अज्ञात अभियुक्तगण पंजीकृत हुआ था। मुकदमा उपरोक्त में थाना रुरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 04.02.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर हसनापुर पुलिया नहर से लगभग 200 मी0 पहले बृहद ग्राम हसनापुर थाना क्षेत्र रूरा से प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्तगण में से 01 नफर अभियुक्त सूरज यादव पुत्र स्व0 देवी चरण यादव निवासी वार्ड नं0 11 जवाहर नगर कस्बा रुरा थाना रुरा जनपद कानपद देहात को मय 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रुरा पर मु0अ0सं0-35/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त सूरज यादव उपरोक्त की निशान देही पर ग्राम सराय व गढेवा के मध्य अमरूद के बाग के कोने की झाड़ी से मु0अ0सं0-23/2024 धारा 295 भादवि0 से सम्बन्धित घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की हथौड़ी बरामद की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि लोग बताते थे कि जब मन्दिर में मूर्ति की स्थापना होती है तो सोना व चाँदी दोनों रखे जाते है, इसी लालच में मैं लगभग 10 दिन पहले सराय गढेवा में पुराना मन्दिर में अपने सहयोगी के साथ गया वहाँ के शिवलिंग उखाडकर बगल में रख दिया और सोने, चाँदी के सिक्के तलाश किये परन्तु नहीं मिले तो हमने नन्दी की मूर्ति को तोड दिया था और फिर रेलवे लाइन पार बडे मन्दिर में गये वहाँ पर भी कोशिश की जब मूर्ति उखडी नहीं तो हथौडी से मैंने नन्दी व शिवलिंग को भी तोड दिया था और हथौडी को गाँव के पास ही बाग में छिपाकर भाग आया था।

बरादमगी

1. 01 अदद लोहे की हथौड़ी

2. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. सूरज यादव पुत्र स्व0 देवी चरण यादव निवासी वार्ड नं0 11 जवाहर नगर कस्बा रुरा थाना रुरा जनपद कानपद देहात।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 23/2024 धारा 295 भादवि0 थाना रुरा कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 35/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रुरा कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 155/2023 धारा 379/411 भादवि थाना रुरा कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार।
2. हे0का0 570 राजेश कुमार।
3. का0 322 राकेश।